FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मिश्री देवी वगै0 बनाम भूमिधारी

2025/289

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती **मु0नं0** 150 **सन् 2025** जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादिगण श्री सुनिल नटवाड़िया उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक **03.06.2025** को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
	3/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपं पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/6/25 को पेश हो।	
	19/6/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/6/25 को पेश हो।	
	26/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
25-07-2025	वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण की गलत जाति ''स्वर्णकार'' दर्ज हैं जबकि वादीगण की जाति ''स्वर्णकार'' की जगह ''अहीर स्वामी'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट राजस्व ग्राम झिराणा की जमाबंदी संवत 2065 से 68 के खाता सं0 20 व संवत 2070–73 के खाता सं0 15 में वादीगण के पिता की जाति अहीर स्वामी दर्ज थी जो वर्तमान जमाबन्दी सं0 2075–78 के खाता सं0 17 में वादीगण की जाति अहीर स्वामी के स्थान पर स्वर्णकार दर्ज हो गई। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम झिराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 538, 539, 540 व 545 कुल किता 4 कुल रकबा 6.39 है0 में वादीगण की गलत दर्ज जाति ''स्वर्णकार'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति ''अहीर स्वामी'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. मिश्री देवी पत्नी घीसाराम वगैरह

—वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 150 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री सुनिल नटवाड़िया एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम झिराणा पटवार हल्का झिराणा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 538, 539, 540 व 545 कुल किता 4 कुल रकबा 6.39 है0 में वादीगण की गलत दर्ज जाति "स्वर्णकार" के स्थान पर सही एवं वास्तविक जाति "अहीर स्वामी" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग..बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा..........

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया [illegible] नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:37 IST
Reason: SelfAttested